**प्रेस विज्ञप्ति**

**<u>11.11.2024</u>**

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, पटना जोनल कार्यालय ने अवैध बालू खनन और बालू की बिक्री से संबंधित धन-शोधन मामले में तीन आरोपियों पुंज कुमार सिंह ,अशोक कुमार और सुदामा कुमार के खिलाफ29 .10. 2024को माननीय विशेष न्यायालय ,पटना के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोजन शिकायत) पीसी (दायर की है। माननीय न्यायालय ने11 .11. 2024को इसका संज्ञान लिया है। मामले में पहली अभियोजन शिकायत10 .11. 2023को दायर की गई थी।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भा.दं.सं., 1860और बिहार खनिज) रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम (नियम, 2019की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज 20 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड अवैध रेत खनन में शामिल है और खनन प्राधिकरण ,बिहार द्वारा जारी विभागीय प्रीपेड परिवहन ई -चालान का उपयोग किए बिना रेत की बिक्री कर रहा है और इससे सरकारी खजाने को**210 . 68करोड़ रुपये** के राजस्व की भारी हानि हुई है।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अवैध रेत खनन कारोबार में एक सिंडिकेट सक्रिय था। सिंडिकेट के सदस्य रेत खनन कारोबार में निवेश करते थे और अपने निवेश के अनुपात में रेत की अवैध बिक्री से होने वाले मुनाफे को नकद में प्राप्त करते थे।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने पटना, आरा, धनबाद, वाराणसी, पारेओ आदि में कंपनी और निदेशकों से जुड़े विभिन्न परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई नकदी, एफडी और बैंक बैलेंस के रूप में4 . 45करोड़ रुपये) लगभग (की राशि जब्त/फ्रीज कर दी थी। इसके अलावा, सिंडिकेट के सदस्यों, उनके परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं से संबंधित हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थित 93. 76करोड़ रुपये) लगभग( मूल्य की अपराध से प्राप्त अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया है।

आगे की जांच जारी है।